[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 03/2023–एकीकृत कर

नई दिल्ली,29 सितम्बर, 2023

सा.का.नि......(अ).–सरकार,एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13)(जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति को माल की पूर्ति के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके आयात पर धारा 5 की उपधारा (1) का परंतुक लागू नहीं होगा किंतु जिस पर एकीकृत कर उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी–20016/29/2023–जीएसटी]

(राघवेन्द्र पाल सिंह)
निदेशक